

## बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेती रोड), पटना - 800001

### 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा

60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में दिनांक 12.02.2017 को सम्पन्न (प्रारम्भिक) परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों, से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु प्रपत्र आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> पर उपलब्ध है।

मुख्य (लिखित) परीक्षा के आयोजन की तिथि के सम्बन्ध में अलग से सूचना दी जायेगी।

लिखित परीक्षा तीन विषयों की होगी, जिसमें दो अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिन्दी - 100 अंक - तथा सामान्य अध्ययन (दो पत्र), प्रत्येक पत्र 300 अंकों के होंगे। इसके अतिरिक्त निम्नांकित वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं एक विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में रखना अनिवार्य है। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक पत्र ही होगा जो 300 अंकों का होगा।

(क) अनिवार्य विषय एवं उनके कोड:-

1. सामान्य हिन्दी (01)
2. सामान्य अध्ययन (02)

(ख) ऐच्छिक विषय की सूची एवं उनके कोड:-

क्रम संख्या	विषय	विषय कोड
1.	कृषि विज्ञान	04
2.	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	05
3.	मानव विज्ञान	06
4.	वनस्पति विज्ञान	07
5.	रसायन विज्ञान	08
6.	सिविल इंजीनियरिंग	09
7.	वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि	10
8.	अर्थशास्त्र	11
9.	विद्युत इंजीनियरिंग	12
10.	भूगोल	13
11.	भू-विज्ञान	14
12.	इतिहास	15
13.	श्रम एवं समाज कल्याण	16
14.	विधि	17
15.	प्रबन्ध	18
16.	गणित	19
17.	यांत्रिक इंजीनियरिंग	20
18.	दर्शन शास्त्र	21
19.	भौतिकी	22
20.	राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	23
21.	मनोविज्ञान	24
22.	लोक प्रशासन	25
23.	समाज शास्त्र	26
24.	सांख्यिकी	27
25.	प्राणी विज्ञान	28
26.	हिन्दी भाषा और साहित्य	29
27.	अंग्रेजी भाषा और साहित्य	30
28.	उर्दू भाषा और साहित्य	31
29.	बंगला भाषा और साहित्य	32
30.	संस्कृत भाषा और साहित्य	33
31.	फारसी भाषा और साहित्य	34
32.	अरबी भाषा और साहित्य	35
33.	पाली भाषा और साहित्य	36
34.	मैथिली भाषा और साहित्य	37

1. प्रत्येक विषय की परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी।
2. सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में, से किसी एक भाषा में दिये जा सकते हैं; किसी अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।
3. प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश/उद्धृत अक्षर, यदि कोई है, का, चुनी गई भाषा के साथ, अंग्रेजी रूपान्तरण दे सकते हैं।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक 2374 दिनांक 16.07.2007 एवम् पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 द्वारा निर्देशित है कि सामान्य हिन्दी में अर्हतांक 30 अंक है, जो अनिवार्य है किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं की जायेगी। शेष विषयों में समेकित रूप से सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त

पिछड़ा वर्ग के लिए चौत्तीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवम् विकलांग उम्मीदवारों के लिए बचीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।

4. **रिक्तियाँ** : कुल रिक्तियों की संख्या 642 है जिसका विस्तृत विवरण सम्मिलित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु प्रकाशित विज्ञापन में दिया गया है।
5. **मेधा सूची** : लिखित परीक्षा में सम्मिलित एवं उनके द्वारा प्राप्तकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के आधार पर सफल घोषित उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा, जिसके लिए 120 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची बनायी जायेगी, और अंतिम परीक्षाफल नियमानुसार घोषित किया जाएगा।

उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की समेकित, एकीकृत रिक्तियों को भरने के निमित्त, सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की विहित, किन्तु समेकित, एकीकृत मेधासूची प्रकाशित की जायेगी; तथा उनकी अन्तर्बीक्षा के पश्चात् अन्तिम परीक्षाफल भी समेकित, एकीकृत किन्तु सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही प्रकाशित किया जायेगा।

### मुख्य परीक्षा हेतु आवश्यक निर्देश

#### 1. आरक्षण:

- (i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी (निवासी) को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। इसके लिए स्थायी निवास पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार यथा; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
  - (a) जाति प्रमाण पत्र
  - (b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-

  - (a) क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को उससे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी।
- (iii) विकलांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में चिकित्सा पत्र के निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको विकलांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापक 16144 दिनांक 28.11.12 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (v) स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपने-अपने जिला के जिला पदाधिकारी/उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं अभ्यर्थी विशेष के नाम से निर्गत परिचय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्वतंत्रता सेनानी को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

#### 2. शुल्क:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं 40% या उससे अधिक निःशक्त (विकलांग) अभ्यर्थियों के लिए 200/- (दो सौ) रुपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 750/- (सात सौ पचास) रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान चालान के माध्यम से अथवा ऑनलाईन कर सकते हैं।

चालान के माध्यम से अभ्यर्थी को उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त बैंक चार्ज (18% GST सहित) 59/- (उनसठ) रुपये देने होंगे। अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं 40% या उससे अधिक निःशक्त (विकलांग) अभ्यर्थियों को कुल 259/- (दो सौ उनसठ) रुपये एवं अन्य उम्मीदवारों को कुल 809/- (आठ सौ नौ) रुपये आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPS's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न

करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

3. ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 22.12.2017 से प्रारम्भ होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	ऑनलाईन अथवा चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करने एवं उसकी विवरणी डैशबोर्ड पर भरने की तिथि	दिनांक 22.12.2017 से 15.01.2018 तक
2.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक 25.01.2018 तक
3.	सभी संबंधित अनुलग्नक के साथ हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि	दिनांक 06.02.2018 के अपराह्न 5 बजे तक

**नोट-1.** भुगतान (ऑनलाईन अथवा चालान) की विवरणी डैशबोर्ड पर भरने के 24 घंटे बाद ही ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अतः अभ्यर्थी दिनांक- 15.01.2018 तक निश्चित रूप से भुगतान विवरणी डैशबोर्ड पर भर लें।

**नोट-2.** ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी भी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।

**नोट-3.** ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि उनका भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है एवं आयोग को निर्धारित परीक्षा शुल्क प्राप्त हो गया है। अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान करने के उपरांत तत्काल उसी समय भुगतान रसीद (e-Receipt) प्रिन्ट कर लेंगे। भुगतान रसीद (e-Receipt) प्रिन्ट करने के उपरांत ही डैश बोर्ड पर ऑनलाईन भुगतान की विवरणी भरेंगे। अगर ऑनलाईन भुगतान (Transaction Status) लंबित (Pending) दर्शाता है, तो वह भुगतान मान्य नहीं होगा एवं उसके आधार पर भरा गया ऑनलाईन आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(i) ध्यातव्य है कि आवेदक द्वारा 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा का ऑनलाईन आवेदन भरने के समय जो विवरणी/सूचनाएँ भरी गई थी, वही सूचना/विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व से भरी रहेंगी एवं उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। आवेदक केवल उक्त ऑनलाईन आवेदन के अन्त में विज्ञापन में वर्णित प्रमाण-पत्र/कागजात की विवरणी भरेंगे।

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न हैं।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलाकर भरने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) मात्र भुगतान कर देने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

(iv) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(v) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/ Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी

भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नकद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।

(vi) माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 2276/2017, Mayank kumar vs The State of Bihar & others, CWJC No. 2281/2017, Prashant Kumar Yadav & others vs The State of Bihar & others, CWJC No 1779/2017, Nishant Kumar & others with LA No. 794/2017, Rajit kumar & others vs The State of Bihar & others with CWJC No. 2131/2017, Kumari Puspanjali Bala vs The State of Bihar & others एवं CWJC No. 2279/2017, Kumar Satyam & others vs The State of Bihar & others में पारित न्यायादेश के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित तथा अंतिम रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थी अनुक्रमांक 343672, 343677, 343681, 343688 एवं 343701 के द्वारा परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से आयोग के खाता में जमा करते हुए चालान की प्रति के साथ अपने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र एवं विज्ञापन की कडिका 12 के अनुसार वांछित सभी प्रमाण पत्रों के साथ एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर कर सभी अनुलग्नकों के साथ आयोग को भेजेंगे जो दिनांक 06.02.2018 को अपराह्न 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाय। घोषणा पत्र का प्रारूप एवं चालान प्रपत्र अलग से आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है जिसे Download किया जा सकता है।

4. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(i) अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित स्वअभिप्रेमाणित प्रमाण पत्र/कागजात एवं चालान की एक प्रति अथवा ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद की प्रति केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह 06.02.2018 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित स्वअभिप्रेमाणित प्रमाण पत्र/कागजात एवं चालान की प्रति/ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जायेगी।

(iii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि चालान पर अंकित Registration Number एवं हार्ड कॉपी पर अंकित Registration Number एक ही (same) है।

(iv) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, चालान की प्रति एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी की एक अन्य प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय हार्डकॉपी मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

5. योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि, पूर्व में भरे गये प्रारम्भिक परीक्षा से संबंधित ऑनलाईन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।

6. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

7. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।


8. आवेदक इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) एवं प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायेंगे।

9. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
10. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
11. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
12. अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रामाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में अनिवार्यतः क्रमवार संलग्न करेंगे:-

- मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के प्रमाण के लिए);
- स्नातक एवं समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र;
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये (1) जाति प्रमाण पत्र (2) स्थायी निवास प्रमाण पत्र (3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र।
- निःशक्त उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा पर्वद द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र;
- स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र की छायाप्रति।
- बैंक चालान की मूल (BPSC) प्रति/ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद की प्रति;

उपर्युक्त हार्ड कॉपी एवं प्रमाण पत्र/कागजात को जिस लिफाफा में डालकर भेजेंगे उस लिफाफा के ऊपर पता पर्ची (Address Slip) प्रेषक पर्ची (Slip) चिपका कर इस प्रकार भेजेंगे कि वह 06.02.2018 के अपराहन 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

नोट:- आवेदन पत्र मात्र संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के नाम से ही प्रेषित करेंगे। अन्य पदाधिकारी के नाम से प्रेषित आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र वाले लिफाफे के ऊपर 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा निश्चित रूप से लिखेंगे।

  
 संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
 बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

## घोषणा पत्र प्रारूप

मैं.....पिता/पति का नाम.....ग्राम.....  
पो.....थाना.....जिला.....राज्य.....  
के निवासी है। मैं 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। मेरा अनुक्रमांक.....है। मैं प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ। मुख्य परीक्षा हेतु मैंने चालान के माध्यम से रु.....परीक्षा शुल्क जमा किया है जिसका चालान सं.....दिनांक.....है। (प्रति संलग्न) इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ।

- (i) मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के प्रमाण के लिए);
- (ii) स्नातक एवं समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र;
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये (1) जाति प्रमाण पत्र (2) स्थायी निवास प्रमाण पत्र (3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र।
- (iv) निःशक्त उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा पत्र द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र;
- (v) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र की छायाप्रति।
- (vi) बैंक चालान की मूल (BPSC) प्रति  
(उपर्युक्त में से जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त कंडिका में जो भी सूचना दिया गया है वह सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की गलती के लिए मैं स्वयं जवाबदेह होऊँगा/होऊँगी।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर :- हिन्दी में

:- अंग्रेजी में
